समयबद्ध/कोर्ट केस

संख्या- 7/2016/4/1/2002 टी.सी.-1/का-2/2016

प्रेषक,

दीपक सिंघल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 05 अगस्त, 2016

विषय:- कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 21.08.2015 एवं 27.11.2015 के अनुपालन मे, पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर, पूर्व में पदोन्नत कार्मिकों की पदावनति, के संदर्भ में मा.सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष योजित "आई.ए." की पैरवी के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-2 के पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-8/4/1/2002टी.सी.-1-का-2/2015 दिनांक 21 अगस्त, 2015 समसंख्यक पत्र क्रमशः दिनांक 22.09.2015, 27.11.2015 एवं 27.07.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त संदर्भ में पुनः अवगत कराना है कि पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या-2608/2011 यू.पी. पॉवर कॉर्पोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.04.2012 को निर्णय/आदेश पारित किए गए है, जिनके प्रभावी अंश निम्नवत् हैः-

"42. In the ultimate analysis, we conclude and hold that section 3(7) of the 1994 Act and the Rule 8-A of the 2007 Rules are ultra vires as they run counter to the dictum in M.Nagaraj (supra). Any promotion that has been given on the dictum of Indra Sawhney (supra) and without the aid or assistance of Section 3(7) and Rule 8-A shall remain undisturbed."

3. मा.सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों के अनुपालन के संदर्भ में योजित अवमानना याचिका संख्या-214(सी.)/2013 अमर कुमार व अन्य बनाम जावेद उस्मानी व अन्य में दिनांक 24.11.2015 को मा.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए गए, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत है-

....."If anyone is grieved by the decision taken by the said authority, the said person is entitled to file an interlocutory application before this Court in the disposed of Civil Appeal No. 2608 of 2011 and connected appeals, so that suitable order can be passed. The purpose of stating so is that no other court shall entertain the challenge to the grievance of any person."

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. प्रश्नगत अवमानना याचिका संख्या-214(सी)/2013 अमर कुमार व अन्य बनाम जावेद उस्मानी व अन्य एवं अन्य सहबद्ध याचिकाओं के परिप्रेक्ष्य में मा.सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कतिपय आई.ए. (interlocutory application) योजित की जा रही है।

5. उल्लेखनीय है कि उपरिसंदर्भित अवमानना याचिका एवं अन्य सहबद्ध याचिकाओं में शासन की ओर से प्रभावी पैरवी श्री रवि पी. मेहरोत्रा, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा की गई है तथा वे प्रकरण से पूर्णतः भिज्ञ है।

6. अतः, उक्त प्रकरण की विशिष्ट परिस्थितियों के दृष्टिगत, सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मा.सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष योजित ऐसी "आई.ए.' में शासन का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्री रवि पी. मेहरोत्रा, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, मा. सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली को आबद्ध कराकर प्रभावी पैरवी करायी जाए।

कृपया उपर्युक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही करने के साथ ही अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारियों को भी तदनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(**दीपक सिंघल**)
मुख्य सचिव।

संख्या-7/2016/4/1/2002 टी.सी.-1(1)/का-2/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त शासनादेश की व्यवस्था से अपने समस्त अधीनस्थों को भी अवगत करा दें :-

1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2) प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3) रजिस्ट्रार, मा.सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
4) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि श्री रवि पी. मेहरोत्रा, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली को अपने स्तर से भी उक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। साथ ही, उक्त व्यवस्था से अन्य सभी एडवोकेट ऑन रिकार्ड, मा.सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
5) प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6) श्री रवि पी. मेहरोत्रा, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
7) सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद।
8) सचिव, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
9) वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0।
10) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(**किशन सिंह अटोरिया**)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in